न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/162/2025 दायर दिनांक 12.11.2025 रजि0 न0 2025/386

अपीलार्थीः–

श्री मनीष कुमार सोनी, निवासी 28ए, कृष्णा कॉलोनी, अम्बेडकर चौराहा, अलवर–301001

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 22.12.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 03.10.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 24.11.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी का जवाब पत्र क्रमांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2114 दिनांक 25.11.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रषित की गई है, के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में की गई अपील किस आवेदन के परिपेक्ष्य में की गई है, कि प्रति संलग्न कर उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे पूर्ण विशिष्टियों के अभाव में जवाब भिजवाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी को पत्र क्रमांक कोर्ट/डी.एम./2025/854 दिनांक 02.12.2025 के द्वारा सूचित किया गया कि, आप द्वारा की गई उक्त अपील किस आवेदन के संबंध में की गई है, की प्रति संलग्न कर आगामी पेशी दिनांक 08.12..2025 से पूर्व उपलब्ध करावें जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.12.2025 को पत्र के संबंध में एक प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसके साथ उक्त अपील किस आवेदन के परिपेक्ष्य में की गई है, की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. तथापि अपीलार्थी द्वारा अपील किस आवेदन के संबंध में की गई है, की आवेदन प्रति समय पर उपलब्ध कराने में असफल रहा है जिससे पूर्ण विशिष्टियों के अभाव में जवाब भिजवाया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
7. अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक 22.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर